1341
25/4/25

बिहार सरकार,
श्रम संसाधन विभाग
—:: संकल्प ::—

CWJC No—15856/2023 श्री अरविन्द आलोक बनाम बिहार राज्य एवं अन्य मामले में दिनांक—07.02.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री अरविन्द आलोक, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय सम्प्रति प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध अधिरोपित दण्ड एवं अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृत करने संबंधी विभागीय संकल्प ज्ञापांक क्रमशः—6/श्रम वि0आ0 (01)—01/2020 श्र0सं0—441 दिनांक—10.02.2023 एवं 6/श्रम वि0आ0 (01)—01/2020 श्र0सं0—2045 दिनांक—24.07.2023 को निरस्त करने के संबंध में।

श्री अरविन्द आलोक, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, बेगूसराय सम्प्रति प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण, बिहार, पटना के पत्रांक—2680 दिनांक—27.12.2019 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया। श्री आलोक के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप यथा औ०प्र० संस्थान, बेगूसराय में SCVT वर्ष 2018 की परीक्षा में उत्तीर्ण कराने के नाम पर प्रशिक्षणार्थियों से अवैध राशि की वसूली करने संबंधी विडियो youtube channel पर अपलोड किये गए। अपलोड किये गए विडियों की जाँच निदेशालय द्वारा त्रि—सदस्यीय समिति गठित कर कराई गई। समिति द्वारा पाया गया कि, SCVT वर्ष 2018 की परीक्षा उत्तीर्ण कराने के नाम पर श्री जहाँगीर आलम, मुख्य अनुदेशक, महिला औ०प्र० संस्थान, बेगूसराय तथा श्री सूरज, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, औ०प्र० संस्थान, बेगूसराय द्वारा राशि की वसूली की गई थी। मामला संज्ञान में आने के बाद भी श्री आलोक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई। राशि की अवैध वसूली में श्री आलोक की मौन सहमति एवं इनके द्वारा अनियमितता को प्रश्रय दिया जाना पाया गया था।''

2. श्री अरविन्द आलोक के इस कृत्य को सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध मानते हुए विभागीय ज्ञापन—293 दिनांक—11.02.2020 द्वारा स्पष्टीकरण की माँग की गई। श्री अरविन्द आलोक द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण की समीक्षोपरान्त श्री आलोक के स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं पाते हुए श्री आलोक के विरूद्ध सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय कार्यवाही प्रारम्भ करने का निर्णय लिया गया। श्री अरविन्द आलोक के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम—16(क) के अंतर्गत विभागीय संकल्प ज्ञापांक—1367 दिनांक—28.07.2021 द्वारा विभागीय कार्यवाही संस्थित की गई। इस विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु श्री अरविन्द कुमार, संयुक्त श्रमायुक्त को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रवि आनन्द, सहायक निदेशक (प्र०), निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

3. संयुक्त श्रमायुक्त—सह—संचालन पदाधिकारी द्वारा उनके पत्रांक—501 दिनांक—18.02.2022 द्वारा विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन में श्री अरविन्द आलोक के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन में यह निष्कर्ष अंकित किया गया है कि आरोपित पदाधिकारी को अवैध वसूली की जानकारी थी एवं जानकारी होते हुए भी उनके द्वारा स्थानांतरण के पूर्व संबधित कर्मचारियों पर कोई कार्रवाई नही की गई। इससे स्पष्ट है

कि श्री अरविन्द आलोक ने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया एवं सरकारी सेवक के आचरण के विरूद्ध कार्य किया।

4. अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा समीक्षोपरांत श्री अरविन्द आलोक के विरूद्ध गठित आरोपों को प्रमाणित पाते हुए द्वितीय कारण पृच्छा की मांग की गई।

5. उक्त के आलोक में श्री अरविन्द आलोक ने औ०प्र० संस्थान, पूर्णिया के पत्रांक–240 दिनांक–08.06.2022 द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया। अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री अरविन्द आलोक से प्राप्त कारण पृच्छा का जवाब की सम्यक समीक्षा की गई एवं यह पाया गया कि SCVT परीक्षा वर्ष 2018 का परीक्षाफल दिनांक–15.04.2019 को प्रकाशित हुआ एवं उसी तिथि को आरोपी पदाधिकारी एवं संस्थान के अन्य कर्मियों द्वारा अवैध वसूली का विडियो वायरल हुआ। निदेशायल द्वारा दिनांक–07.06.2019 को मामले की जाँच की गई। जाँच के दौरान श्री अरविन्द आलोक ने बयान दिया कि ''वसूली परीक्षा फॉर्म भरते समय का है एवं उनके संज्ञान में परीक्षाफल प्रकाशन के बाद आया''। श्री आलोक के इस बयान से स्पष्ट है कि अवैध वसूली की जानकारी उन्हें परीक्षाफल के प्रकाशन की तिथि दिनांक–15.04.2019 को हो गई थी। परन्तु श्री अरविन्द आलोक ने, दिनांक–07.06.2019 तक अर्थात छः सप्ताह से अधिक अवधि व्यतीत होने के उपरांत भी वायरल विडियो के संदर्भ में कोई कार्रवाई नहीं की थी। श्री आलोक द्वारा कोई कार्रवाई नहीं किया जाना अवैध वसूली की घटना में उनकी संलिप्तता को दर्शाता है। कार्यालय प्रधान होने के नाते श्री आलोक का दायित्व था कि वे वायरल विडियो की छानवीन कर संबंधित दोषी कर्मियों के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई कर इस घटना की सूचना निदेशालय को देते। किन्तु उनके द्वारा ऐसा कुछ भी नहीं किया गया जो उनके दायित्व के प्रति लापरवाही का द्योतक है। इस संबंध में उनसे प्राप्त अभ्यावेदन में कोई साक्ष्य एवं तार्किक तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। उपर्युक्त के आलोक में श्री अरविन्द आलोक के विरूद्ध गठित 03 आरोपो में से 2 को पूर्णतः एवं संख्या–01 को आंशिक रूप से प्रमाणित पाया गया तथा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम–14(vi) में वर्णित वृहद शास्ति के तहत संचयी प्रभाव के साथ दो वेतन वृद्धियों को रोकने की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया एवं श्री अरविन्द आलोक के विरूद्ध बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (यथा संशोधित) नियमावली, 2007 के नियम–14 (vi) के आलोक में संचयी प्रभाव से दो वार्षिक वेतन वृद्धि रोके जाने की शास्ति विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 (01)–01/2020 श्र0सं0–441 दिनांक–10.02.2023 द्वारा अधिरोपित की गई।

6. उक्त अधिरोपित दण्ड के विरूद्ध पुनर्विलोकन अभ्यावेदन समर्पित किया गया। श्री आलोक द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की समीक्षा सक्षम प्राधिकार द्वारा की गई एवं समीक्षोपरान्त पाया गया की श्री अरविन्द आलोक द्वारा अपने पुनर्विलोकन अभ्यावेदन में कोई नया एवं ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है, जिससे उनके विरूद्ध प्रमाणित आरोप खंडित हो सके। उक्त के आलोक में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री आलोक से प्राप्त पुनर्विलोकन याचिका को अस्वीकृत करने का निर्णय लिया गया एवं विभागीय संकल्प ज्ञापांक–6/श्रम वि0आ0 (01)–01/2020 श्र0सं0–2045 दिनांक–24.07.2023 द्वारा उक्त निर्णय लिया गया है।

7. उक्त आदेश के विरूद्ध श्री अरविन्द आलोक द्वारा माननीय पटना उच्च न्यायालय में रिट याचिका CWJC No–15856/2023 दायर की गई। उक्त वाद की सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–07.02.2025 को की गई एवं न्यायादेश पारित करते हुए विभागीय संकल्प आदेश ज्ञापांक–441 दिनांक–10.02.2023 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–2045 दिनांक–24.07.2023 को निरस्त कर दिया गया। माननीय न्यायालय द्वारा पारित न्यायादेश के संदर्भ में विधि विभाग का परामर्श प्राप्त किया गया। प्राप्त परामर्श के आलोक में माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक–07.02.2025 को CWJC No–15856/2023 मे पारित न्यायादेश के अनुपालन में सक्षम प्राधिकार द्वारा विभागीय संकल्प आदेश ज्ञापांक–441 दिनांक–10.02.2023 एवं विभागीय आदेश ज्ञापांक–2045 दिनांक–24.07.2023 को निरस्त करने का निर्णय लिया गया।

8. अतएव माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा CWJC No–15856/2023 में दिनांक–07.02.2025 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में श्री अरविन्द आलोक, तत्कालीन प्राचार्य, औ०प्र० संस्थान, बेगूसराय सम्प्रति प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोजपुर (आरा) के विरूद्ध विभागीय संकल्प आदेश ज्ञापांक–441 दिनांक–10.02.2023 को गिर्गत तिथि से निरस्त किया जाता है। तथा श्री आलोक के विरूद्ध अधिरोपित शास्ति को वापस लिया जाता है साथ ही उन्हें सभी देय लाभ की स्वीकृती प्रदान की जाती है।

9. प्रस्ताव में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

आदेशः– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रति श्री अरविन्द आलोक, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय सम्प्रति प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोजपुर (आरा) को निबंधित डाक से उपलब्ध करायी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

25.4.25

(अशोक राम)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी, ई–गजट कोषांग वित्त विभाग, बिहार, पटना को दो प्रति के साथ बिहार राजपत्र के अगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। उनसे अनुरोध है कि राजपत्र की 15 (पन्द्रह) अतिरिक्त प्रतियाँ विभाग को उपलब्ध करायें।

25.4.25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25

प्रतिलिपि–महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.4.25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25

प्रतिलिपि–प्रभारी पदाधिकारी वित्त (वै०दा०नि० कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.4.25

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25
प्रतिलिपि– जिला पदाधिकारी, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.4.25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25
स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक
प्रतिलिपि– श्री अरविन्द आलोक, तत्कालीन प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बेगूसराय सम्प्रति प्राचार्य, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भोजपुर (आरा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.4.25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25
प्रतिलिपि–निदेशक, नियोजन एवं प्रशिक्षण/विशेष सचिव/विशेष कार्य पदाधिकारी/अवर सचिव/प्रभारी गोपनीय चारित्री/लोक सूचना पदाधिकारी/आई०टी० मैनेजर/प्रशाखा पदाधिकारी (प्रशाखा–01), श्रम संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

25.4.25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25
प्रतिलिपि–सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, बिहार, पटना को उनके पत्रांक–3769 दिनांक–27.12.2022 के आलोक में सूचनार्थ प्रेषित।

25.4.25
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक–6/श्रम वि० आ० (01)–01/2020 श्र०सं०– 1341 पटना, दिनांक–25/4/25
प्रतिलिपि–माननीय मंत्री, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, श्रम संसाधन विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

25.4.25
सरकार के अवर सचिव